मुख्यमंत्री भजनलाल ने 128 ब्लू लाइन बसें रोडवेज़ को सौंपीं

उन्होंने कहा, 357 ग्रामीण मार्गों पर नई बसें चलेंगी व 169 ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ेंगी

जयपुर, 5 अक्टूबर। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजधानी जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से 128 आधुनिक ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' ग्रामीण परिवहन सेवा और वॉल्वो, स्केनिया व एसी बसों में सीट पर भोजन सेवा का भी शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये बसें प्रदेश के 23 आगारों में संचालित होंगी।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई बस सेवाएं रैवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित हैं तथा यात्रियों को रोडवेज़ की निशुल्क व रियायती यात्रा योजनाओं का लाभ मिलेगा।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अमर जवान ज्योति से 128 आधुनिक ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों का उपयोग 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' ग्रामीण परिवहन सेवा में होगा।

'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' सेवा के तहत 357 ग्रामीण मार्गों पर नई बसें शुरू की गई हैं। इस सेवा से 169 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं तक सीधी पहुँच मिलेगी। यह सेवा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित है और इनमें यात्रियों को रोडवेज की निःशुल्क एवं रियायती यात्रा योजनाओं का लाभ मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने नई बसों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से सभी सुविधाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, और रोडवेज अध्यक्ष शुभ्रा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

एसआईटी ने एक्टर विजय की रैली में भगदड़ की जाँच शुरु की

चेन्नई, 5 अक्टूबर। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने 27 सितंबर को अभिनेता और तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैली में मची भगदड़ के बारे में जानकारी जुटाने के लिये त्रासदी स्थल वेलुसामीपुरम से रविवार को अपनी जाँच शुरू की।

उस भगदड़ में 10 बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हुयी थी।

- **इस भगदड़ में 10 बच्चों सहित 41 लोगों की मौत हुई थी।**

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग, आईजी (उत्तरी क्षेत्र) के नेतृत्व में जांच दल ने इलाके का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों और जनता से पूछताछ की।

न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने स्थानीय पुलिस की जाँच पर असंतोष व्यक्त करते हुए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। अदालत ने विजय के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस की भी खिंचाई की जो हादसे के बाद घटनास्थल से भाग खड़े हुये थे और अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

त्रासदी के बाद से विजय अपने घर पर ही हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। विल्लुपुरम शहर में अभिनेता के समर्थन में पोस्टर लगाए गये हैं जो अपने समर्थकों और प्रशंसकों के लिए थलपति (जनरल) हैं।

पायलट एनएसयूई प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ से मिलने सैन्ट्रल जेल गए

सचिन पायलट ने कहा, पुलिस ने खुद कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है ताकि जमानत न हो सके

पायलट....

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 5 अक्टूबर, । कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को घाटगेट स्थित जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे। जहां उन्हें जेल प्रशासन ने बाहर ही रोक दिया। पायलट ने जाखड़ पर कठोर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। इस दौरान आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी अनिल चौपड़ा भी मौजूद थे।

- **पूर्व उपमुख्यमंत्री पालयट ने कहा कि कफ सिरप मौतों की न्यायिक जाँच होनी चाहिए।**

पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उन्हें कई दिन से जेल में बंद किया हुआ है। आज मिलने आए, लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम का विरोध करने पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने खुद कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, ताकि जमानत नहीं मिल सके। पायलट ने आशंका जताई कि एक मामले में जमानत मिलने पर विनोद जाखड़ को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रविवार को जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एन.एस.यू.आई. के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने गये। उन्हें जेल प्रशासन ने बाहर ही रोक दिया।

सचिन पायलट ने कहा कि, राजस्थान में "कफ सिरप" से बच्चों की मौत का मामला गंभीर है, इस पर सरकार खुद जांच करेगी तो हकीकत सामने नहीं आएगी, इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि सामने आए कि गलती किसकी है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में रखने से जुड़े सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि, जब भी कोई धरना-प्रदर्शन करता है तो भाजपा सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है।

काफी निःशक्त सी है, निःशक्त सर्टिफिकेट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सवाई मानसिंह अस्पताल में भी "श्रवण और वाणी विकलांगता" वाले मरीजों (मूक-बधिर) की मेडिकल जांच और उन्हें सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि यहां अभ्यर्थियों और मरीजों की जांच नियमानुसार "ऑडियोलॉजिस्ट" द्वारा की जानी चाहिए। परंतु सवाई मानसिंह अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में यह जांच ई.एन.टी. सर्जन द्वारा की जा रही है। हैरानी की बात है कि मरीजों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करने वाले बोर्ड में भी एक भी सदस्य ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में भी सिर्फ दो टैस्ट, "बेरा व पी.टी.ए." के आधार पर ही दिव्यांगता प्रतिशत तय किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां भी जांच व सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया गलत और अधूरी है। इस कारण कई ऐसे मरीजों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, जो वाकई पीड़ित है। कई ऐसे मरीजों को सर्टिफिकेट मिले हैं, जिन्हें "श्रवण एवं वाणी विकलांगता" है ही नहीं।

राजस्थान के सरकारी विभागों में खुद को मूक-बधिर बताकर नौकरी पाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की दिव्यांगता जांचने के आदेश कार्मिक विभाग ने गत अगस्त माह में जारी किए थे। इस दौरान सामने आया कि, एस.एम.एस. अस्पताल में ई.एन.टी. सर्जन के निर्देशों पर ही जांच की जा रही है और संविदा पर लिए गए ऑडियोलॉजिस्ट को 2 ही टेस्ट करने के आदेश दिए जाते हैं, इस कारण मरीज की विकलांगता प्रतिशत का सटीक अनुमान ही नहीं लग पाता।

दरअसल भारत सरकार द्वारा लागू "राइट टु पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016" की धारा 56 व 57 के मुताबिक विशिष्ट विकलांगता का आंकलन करने वाली अथॉरिटी में विशेषज्ञ के रूप में "रीहैबिलिटेशन काउन्सिल" से पंजीकृत मास्टर डिग्रीधारी ऑडियोलॉजिस्ट अथवा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को शामिल करना अनिवार्य है। इन्हीं विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ही दिव्यांग अभ्यर्थी का विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। परंतु इसके विपरीत राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में ई.एन.टी. सर्जन द्वारा ही जांच करके दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं।

इस मामले को जानने वाले एक वरिष्ठ ऑडियोलॉजिस्ट ने बताया कि, सवाई मानसिंह अस्पताल में ही मूक-बधिर लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया नियमों के विपरीत और पूरी तरह अवैध है। मरीज की प्राथमिक व मुख्य जांच ऑडियोलॉजिस्ट को करनी होती है, परंतु यह काम ई.एन.टी. विभाग कर रहा है। विकलांगता सर्टिफिकेट यह नहीं बताता कि मरीज दिव्यांग है, बल्कि यह बताता है कि उसे सुनने और बोलने में कितनी प्रतिशत कठिनाई है, जिससे उसका जीवन कितना प्रभावित है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नियुक्ति में कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

उन्होंने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट के पद ही सृजित नहीं हैं, इस कारण ई.एन.टी.विशेषज्ञों द्वारा गलत मापदंडों के आधार पर दिव्यांगता प्रतिशत तय किया जा रहा है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि, जिस मरीज को अधिक परेशानी है, उसे सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा। तो कहीं किसी व्यक्ति को मामूली दिक्कत पर ही दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मिल रहा है।

जबकि, नियमानुसार, सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व चिकित्सकीय बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होती है। जिसमें अस्पताल अधीक्षक, ई.एन.टी. सर्जन और ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच पैथलॉजिस्ट शामिल होते हैं। इन तीनों की सहमति ही तय करती है कि कोई व्यक्ति श्रवण एवं वाणी विकलांगता से प्रभावित है और उसका विकलांगता प्रतिशत कितना है। इस बोर्ड में शामिल तीनों डॉक्टर्स व विशेषज्ञों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज की सिफारिश पर ही सर्टिफिकेट जारी होता है।

नियमानुसार, "रीहैबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया" के मुताबिक सुनाई देने में कठिनाई की समस्या 23 प्रकार की होती है, जिनके निर्धारण के लिए अलग-अलग मेडिकल जांच होती हैं। अलग-अलग प्रकार की समस्याओं के लिए अलग-अलग ही टैस्ट के समूह करवाए जाते हैं, जो कि पूर्व निर्धारित है। जरूरी नहीं कि, एक मरीज की एक प्रकार की स्थिति के लिए जो टैस्ट अपनाए जाएं, वह किसी दूसरे मरीज के लिए उपयुक्त हों। परंतु जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में मरीज की मेडिकल जांच और सर्टिफिकेट जारी करने में ई.एन.टी. डॉक्टर्स की भूमिका प्रायः सामने आ रही है। यहां सभी केसों में केवल "बेरा" (ब्रेनस्टेम इवॉक रेस्पॉन्स ऑडियोमीट्री) और "पी.टी.ए." (प्योर टोन ऑडियोमीट्री) टेस्ट करवाकर धड़ल्ले से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। जबकि यह टेस्ट करवाने भी है अथवा नहीं, यह फैसला ऑडियोलॉजिस्ट का होता है। क्योंकि, नियमानुसार सिर्फ ऑडियोलॉजिस्ट ही ऐसा विशेषज्ञ है, जो यह स्पष्ट करता है कि, मरीज की दिव्यांगता किस प्रकार की है और उसे किस प्रकार जांचा जाए। जांच के बाद यह निर्धारित करता है कि दिव्यांगता का प्रतिशत क्या है। वहीं नियमानुसार ई.एन.टी. डॉक्टर की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वह, मरीज को जांचकर केवल यह पता करे कि उसकी दिव्यांगता स्थायी है अथवा नहीं। अगर स्थायी समस्या है तो उसे ऑडियोलॉजिस्ट की राय पर ही सर्जरी करनी होती है और जरूरत पड़े तो ऑडियोलॉजिस्ट "कॉकलेयर इम्प्लांट" सर्जरी प्रस्तावित करता है।

पाठकों को यह जानना जरूरी है कि, इस पूरी प्रक्रिया में ऑडियोलॉजिस्ट की अहम भूमिका इससे भी पता चलती है कि, किसी भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट की वैद्यता के सिलसिले में अदालत में केवल ऑडियोलॉजिस्ट ही बतौर विशेषज्ञ राय दे सकते हैं, कोई अन्य डॉक्टर नहीं। परंतु हैरानी की बात है कि एस.एम.एस. अस्पताल में सर्टिफिकेट जारी करने वाले बोर्ड में एक भी सदस्य ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है। ताज्जुब की बात है कि, इस दिव्यांगता का प्रतिशत और उसका ग्राफ बनाने में "ऑडियोलॉजिस्ट" की भूमिका एक विशेषज्ञ की है, इसके बावजूद प्रदेश की मेडिकल शिक्षा में यह कोर्स ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस कारण सवाई मानसिंह अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में भी इनके पद नहीं है। वर्ष 2019 में सवाई मानसिंह अस्पताल के ई.एन.टी. विभाग से जब राज्य सरकार की ओर से पूछा गया कि, ऑडियोलॉजिस्ट की कितनी पोस्ट बनायी जानी चाहिए, तब ई.एन.टी. शाखा ने इन पदों की जरूरत नहीं होने की बात कहकर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया।

क्रमश :

कप सिरप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता प्रकाश चौकसे ने कहा कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं और बच्चों की मौत इसकी पुष्टि है। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई, तो एनएसयूआई प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय अस्पतालों के बाहर जनआंदोलन करेगी।

आप पार्टी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मानद चेयरमैन गुप्ता ने हाल में राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गईं कि आप उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में गुप्ता को आप उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी। आप को 117 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भारी बहुमत प्राप्त है। इस बहुमत के साथ आप को गुप्ता को राज्यसभा भेजने में कोई बाधा नहीं आएगी। जून में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से राज्यसभा जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में 12 सीटें मांगीं

रांची, 05अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदीव्य कुमार सोनू और विनोद पांडे कल छह अक्टूबर को पटना में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे।

- **मुख्यमंत्री सोरेन के प्रतिनिधियों ने तेजस्वी यादव से सीमावर्ती 12 सीटों पर दावा किया है**
- **झामुमो ने झारखंड में राजद को 9 सीटें दी थीं। इसी आधार पर वह बिहार में 12 सीटों की मांग कर रहा है।**

पार्टी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों को बातचीत करने के लिए इसकी कमान सौंपी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी राज्य की सीमावर्ती 12 विधानसभा सीटों पर दावेदारी के साथ महागठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी की तैयारी में जुट गई है।(झामुमो की नजर बिहार के तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई सीटों पर है। इन जिलों की सीमा झारखंड से लगती है और यहां झामुमो का वोटबैंक मजबूत माना जाता है। पार्टी का दावा है कि इन इलाकों में संगठन की जमीनी पकड़ अच्छी है और अतीत में उसके विधायक भी यहां से चुने जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सितंबर महीने में झामुमो अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना में हुई वोटर अधिकार रैली के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, लेकिन तब सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हो सकी थी। इस बार बैठक को लेकर झामुमो काफी गंभीर है और पार्टी नेताओं को मजबूत तर्कों के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है।

नेपाल में वर्षा, बाढ़ व भूस्खलन से 51 की मौत

काठमांडू, 05 अक्टूबर। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हालात गंभीर हो गए हैं। फ्लैश फ्लड और बाढ़ की वजह से अब तक नेपाल में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी भारी बारिश का दौर जारी है। आपदा प्रबंधन से जुड़े एक अधिकारी की तरफ से रविवार को इस बात की जानकारी दी गई है। शुक्रवार से ही देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है। लगातार बारिश के बीच ही आपदा अधिकारियों ने कई नदियों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है।

- **सड़कें बंद हो जाने के कारण बचावकर्मी पैदल राहत कार्य के लिए जा रहे हैं**
- **नेपाल के पूर्वी इलाम जिले में भूस्खलन से 37 से अधिक लोगों की मौत हुई। बचाव कार्यों में सहायता के लिए हैलीकॉप्टरों और मोटरबोटों के साथ सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया।**

नेपाल के नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रीडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रवक्ता शांति महत ने बताया, अब तक बारिश की वजह से पैदा होने वाली आपदाओं में 51लोगों की मौत हो चुकी है और पांच लापता हैं। देश के पूर्वी इलाम जिले में भूस्खलन से कम से कम 37 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय जिला अधिकारी सुनीता नेपाल ने कहा, रात भर हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ।

उन्होंने बताया कि सड़कें बंद होने की वजह से कुछ इलाकों तक पहुंचना ही मुश्किल है। ऐसे में बचावकर्मी पैदल ही वहां जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू में भी नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से उनके किनारे बसी बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। बचाव कार्यों में सहायता के लिए हेलीकॉप्टरों और मोटरबोटों के साथ सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। भूस्खलन की वजह से कई हाइवे भी ब्लॉक हो गए हैं और फ्लाइट् पर भी असर पड़ा है। इससे सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। ये यात्री दशई त्यौहार मनाकर लौट रहे थे। नेपाल में भारी बारिश के बाद सप्तकोशी नदी के जलस्तर में तेज वृद्धि हुई है। ऐसे में भारत से सटे कोशी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908